

डिक्री व मुकदमें ईत्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 492/2024

1. कमलजीत कौर पत्नी प्रकाश सिंह जाति जट सिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. रूप सिंह पुत्र प्रकाश सिंह उम्र-16वर्ष नाबालिग जरिये कदरतीवली संरक्षक माता कमलजीत कौर पत्नी प्रकाश सिंह जाति जट सिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

-वादीगण

बनाम

1. जसवीर कौर पत्नी फकीरा सिंह जाति जट सिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 6 एएमपी के खाता सं. 53/10 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में मृतक प्रकाश सिंह पुत्र फकीरासिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक प्रकाश सिंह पुत्र फकीरा सिंह नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 13.5.2024 को जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया